21.04.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के
नोटिस तलबाना मय रजिस्टर्ड एडी की
डिलीवरी (ट्रेक) रिपोर्ट पेश की जिन्हें
शामिल पत्रावली किये गये। केस [illegible]
कर तीन बार आवाज लगवाई गई,
बावजूद इसके कोई उपस्थित नहीं, अतः
अप्रार्थी संख्या-1 लगायत 5 के विरुद्ध
एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती
है। अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस
सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस
में निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी
संख्या 1,2 के संयुक्त खातेदारी हुई व
कुलनी कायत हुई की खातेदारी आराजी ग्राम
कोला रेबारियों की ढाणी के नवीन खसरा
संख्या 134 रकबा 2.01 हैक्टेयर, खसरा
संख्या 135 रकबा 0.64 हैक्टेयर, खसरा
संख्या 171/1943 रकबा 0.18 हैक्टेयर
जिनमें प्रार्थी का 13767/41300 हक
हिस्सा आया हुआ है। वादग्रस्त आराजी
को प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं-1 व 2 के
मौके पर कुलने कायत एवं हिस्से
अनुसार आपसी सहमति से बंटवारा
काफी समय पूर्व कर दिया गया था।
हुए अनुसार प्रार्थी में कुलने कायत से
व हिस्से [illegible] कायत
है प्रार्थी [illegible]
प्रार्थी के नाम से [illegible] खेती चली
आ रही है। मौके पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी
सं-1,2 ने मौके पर कुलने कायत

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.27 17:48:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा नम्बर ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए।
	एक हिस्से अनुसार अप्रार्थी सहखाते के बंटवारा करा दिया था मगर राजस्व रेकर्ड में भूमि शामलाती दर्ज होने से आये दिन पक्षकारान के मध्य मार्ग आदि को लेकर विवाद होता रहता है इस कारण प्रार्थी अपने हक हिस्से की भूमि का बंटवारा करवाना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि तालेफल्ला मुजब वाद तक विरुद्ध अप्रार्थीगण इस्माईल खिदमतगार आदि फरमाया कि मौजा कोलर रेवाड़ियों की ढाणी के ख.नं. 134, 171/1943, 172 कुल रकबा की वगैरह, रहन, रजिस्ट्री, बैनामा आदि नहीं हो। हमने अधिवक्ता प्रार्थी अप्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का सावधानी पूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया। इससे स्पष्ट आराजी शामलाती आ रही है जो अपने-अपने कब्जे काश्त में काबिज है तथा खेतीबाड़ी करते आ रहे [illegible] विभाजन नहीं [illegible] एवं हितबद्ध पक्षकारों [illegible] होगा। क्षेत्रीय आराजी-अनुसार, कब्जे तरह के. पी. पी. तहत एवं अन्य कार्यवाही	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.27 17:48:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा नम्बर ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	योजनाओं के वेरिफिकेशन रहना पेश, तथा गाय रेवड़ि आवेदक ने विरुद्ध कार्यवाही विभागों द्वारा किया जाना उचित नहीं समझता हूँ। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार आवेदन पत्र ग्राह्य पोषणीय नहीं होने तथा सारवान नहीं होने से अस्वीकार / खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल हुआ रिकॉर्ड नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.27 17:48:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner